प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 2040/2007

याचिकाकर्ता सुश्री दीप्ति पारधी

बनाम

उत्तरवादीगण - छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य

आदेश

दिनांक 11.12.2007 को सूचीबद्ध करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 2040/2007

याचिकाकर्ता कु. दीप्ति पारधी, पिता—श्री हेमराज पारधी, निवासी—ग्राम सिहावा, तहसील नागरी, जिला धमतरी (छ.ग.)

बनाम

उत्तरवादीगण - 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)।

2. कलेक्टर, धमतरी (छत्तीसगढ़)।

3. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, नागरी, जिला धमतरी (छ.ग.)।

4. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, सचिव, रायपुर (छ.ग.) के माध्यम से।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

.....

उपस्थित:

याचिकाकर्ता स्वयं उपस्थित।

श्री अरविंद दुबे, पैनल अधिवक्ता, राज्य/उत्तरवादी क्रमांक 1 से 3 के लिए।

श्री अभिषेक सिन्हा, अधिवक्ता, उत्तरवादी क्रमांक 4 के लिए।

.....

आदेश

(दिनांक 11.12.2007 को पारित)

1. याचिकाकर्ता ने अपने अस्थायी जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र (जिसे आगे 'अ. पि. व. प्रमाण-पत्र' कहा जाएगा) प्रदान न किए जाने तथा सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2005 में उसके चयन न होने को इस आधार पर चुनौती दी

है कि उसे सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना गया। याचिकाकर्ता निम्नलिखित अनुतोषों की प्रार्थना करती है:

7.1 माननीय न्यायालय कृपया उत्तरवादी क्रमांक 1 से 3 को निर्देशित करें कि वे याचिकाकर्ता को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने से संबंधित समस्त अभिलेख प्रस्तुत करें तथा उत्तरवादी क्रमांक 4 को भी निर्देशित करें कि वह याचिकाकर्ता की परीक्षा से संबंधित संपूर्ण अभिलेख माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे, ताकि न्यायालय उनका अवलोकन कर सके।

7.2 माननीय न्यायालय कृपया उत्प्रेषण रिट जारी कर अनुलग्नक पी.-10 दिनांक 23.03.2007, जो अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नगरी, जिला धमतरी द्वारा पारित किया गया है, को अभिखण्डित करे तथा यह घोषित करे कि याचिकाकर्ता स्थायी अन्य पिछडा वर्ग जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की पात्र है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7.3 माननीय न्यायालय कृपया परमादेश रिट जारी कर उत्तरवादी क्रमांक 1 से 3 को निर्देशित करे कि वे याचिकाकर्ता को स्थायी अन्य पिछडा वर्ग जाति प्रमाण-पत्र प्रदान करें।

7.4 माननीय न्यायालय कृपया अनुलग्नक पी.-7 दिनांक 01.02.2007, जो उत्तरवादी क्रमांक 4 द्वारा पारित किया गया है, को निरस्त करे तथा उसे निर्देशित करे कि वह याचिकाकर्ता के प्रकरण पर अन्य पिछडा वर्ग अभ्यर्थी के रूप में विचार करते हुए उसका परिणाम घोषित करे।

7.5 माननीय न्यायालय कृपया उत्तरवादियों के कृत्यों के कारण याचिकाकर्ता को हुई हानि एवं मानसिक पीड़ा के लिए उसे उपयुक्त क्षतिपूर्ति प्रदान करने का निर्देश दे।

7.6 माननीय न्यायालय जो अन्य उपयुक्त अनुतोष उचित समझे, वह भी याचिकाकर्ता को प्रदान की जाए।

2. अनुतोष खण्ड क्रमांक 7.2 एवं 7.3 के संबंध में, राज्य/उत्तरवादी क्रमांक 1 से 3 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री अरविंद दुबे ने तर्क प्रस्तुत किया कि आदेश क्रमांक एफ 9-1/2001/1/3 दिनांक 27 जून, 2007 के आलोक में याचिकाकर्ता अन्य पिछडा वर्ग प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की पात्र है। अधिवक्ता ने आगे यह भी निवेदन किया कि याचिकाकर्ता द्वारा अन्य पिछडा वर्ग जाति प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने हेतु आवेदन करने पर, उक्त आदेश दिनांक 27 जून, 2007 के अनुसार उसे प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा। राज्य/उत्तरवादी क्रमांक 1, 2 एवं 3 की ओर से अधिवक्ता द्वारा दिए गए स्पष्ट कथन के अनुसार, अनुतोष खण्ड क्रमांक 7.2 एवं 7.3 संतुष्ट मानी जाती हैं। अतः याचिकाकर्ता को इस संबंध में कोई शेष शिकायत नहीं है।

3. इस न्यायालय की युगलपीठ ने रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 5314 सन् 2007 (कु. भारती बनपुरिया बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य) में समान प्रकृति की याचिका का निपटारा करते हुए निम्नानुसार अभिमत व्यक्त किया—

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "उत्तरवादी/राज्य की ओर से उपस्थित महाधिवक्ता ने अवगत कराया कि एकल पीठ के निर्णय की गलत व्याख्या की गई थी और रिट याचिका क्रमांक 2510/2004 में दिनांक 04.02.2005 को पारित निर्णय के अनुपालन में, राज्य सरकार ने दिनांक 02.02.2006 के आदेश द्वारा अपनी अधिसूचना दिनांक 06.07.2004 को स्थगित कर दिया था। इसके पश्चात, राज्य सरकार ने दिनांक 27.06.2007 को एक अन्य आदेश जारी किया, जिसमें छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासियों की परिभाषा को निर्धारित एवं स्पष्ट किया गया है, जिसमें निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया है— (i) छत्तीसगढ़ में पदस्थ केंद्रीय सेवाओं के अधिकारी/कर्मचारी तथा उनके जीवनसाथी या संतान; (ii) छत्तीसगढ़ राज्य के सभी कर्मचारी तथा उनके जीवनसाथी या संतान; (iii) भारत के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक या वैधानिक पदों पर नियुक्त व्यक्ति तथा उनके जीवनसाथी या संतान; (iv) निगमों, एजेंसियों, आयोगों, बोर्डों के अधिकारी/कर्मचारी तथा उनके जीवनसाथी या

संतान। यह शासकीय आदेश याचिकाकर्ताओं-छात्रों को छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी के संबंध में लाभ प्रदान करने हेतु जारी किया गया है।"

हम इस विचारपूर्ण मत के हैं कि जब ऐसे व्यक्तियों को छत्तीसगढ़ का निवासी मान लिया गया है, तब उपर्युक्त वर्णित श्रेणियों के व्यक्तियों के बच्चों के प्रवेश के उद्देश्य से भी वही सिद्धांत लागू होगा, बशर्ते उनकी जाति राष्ट्रपति के आदेश में सम्मिलित हो।"

4. यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता की जाति "पवार" छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में क्रमांक 13 पर तथा केंद्रीय सूची में क्रमांक 229 पर सम्मिलित है।

5. प्रार्थना क्रमांक 7.4 एवं 7.5 के संबंध में, याचिकाकर्ता कु. दीप्ति पारधी ने स्वयं प्रस्तुत होकर यह निवेदन किया कि उसे सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में मानना विधि विरुद्ध है, यद्यपि वह इस संबंध में जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकी थी। तथापि, अस्थायी जाति प्रमाण-पत्र को ध्यान में रखते हुए उसे अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी के रूप में माना जाना चाहिए था तथा परिणाम उसी अनुसार घोषित किया जाना चाहिए था। सुश्री पारधी ने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि उसके चयन न होने के कारण उसे मानसिक पीड़ा एवं हानि हुई है, अतः वह उपयुक्त क्षतिपूर्ति की भी अधिकारी है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

6. उत्तरवादी क्रमांक 4, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री अभिषेक सिन्हा ने तर्क प्रस्तुत किया कि दिनांक 24.05.2006 के विज्ञापन के खंड 9(3) के अनुसार, याचिकाकर्ता को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक था। यह शर्त आवेदन पत्र के साथ जारी प्रॉस्पेक्टस में भी स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट थी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य था। यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता वैध जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विफल रही, अतः उसे अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में माना गया। विधिसम्मत

प्रमाण के अभाव में उसे आरक्षित कोटा (अन्य पिछडा वर्ग) के अंतर्गत अभ्यर्थी के रूप में नहीं माना जा सकता था।

7. श्री सिन्हा ने आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त अंक अत्यंत कम थे, अतः उसे असफल घोषित किया गया। चयन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, परिणाम घोषित किए जा चुके हैं तथा नियुक्ति हेतु अनुशंसाएँ भी कर दी गई हैं। इस चरण पर याचिकाकर्ता के प्रकरण पर विचार नहीं किया जा सकता। तथापि, याचिकाकर्ता वैध जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात भविष्य में आरक्षित श्रेणी (अन्य पिछडा वर्ग) के अंतर्गत आवेदन कर सकती है।

8. श्री सिन्हा, विद्वान अधिवक्ता ने अंत में यह तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को किसी प्रकार की हानि उत्तरवादियों के किसी कदाचार या निष्क्रियता के कारण नहीं हुई है। याचिकाकर्ता स्वयं वैध जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विफल रही। अतः क्षतिपूर्ति प्रदान करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। अपनी ही त्रुटि के लिए याचिकाकर्ता को क्षतिपूर्ति नहीं दी जा सकती।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. मैंने याचिकाकर्ता, जो स्वयं उपस्थित हुई, तथा पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेख पर संलग्न अभिवचनों एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया। मैं इस विचारपूर्ण मत पर हूँ कि इस प्रकरण के तथ्यों में, जहाँ यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता वैध जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में असफल रही, वहाँ उत्तरवादी क्रमांक 4 को उसे सामान्य श्रेणी का अभ्यर्थी मानने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। याचिकाकर्ता ने पूर्व में जाति प्रमाण-पत्र न दिए जाने को चुनौती नहीं दी थी। उसने यह चुनौती तब दी जब परीक्षा संपन्न हो चुकी थी तथा उत्तरवादी क्रमांक 4 द्वारा तैयार वरीष्ठता सूची के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसाएँ भी कर दी गई थीं।

10. भारत संघ एवं अन्य बनाम एस. विनोद कुमार एवं अन्य[1] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ निम्नानुसार अवधारित किया—

1 (2007) 8 SCC 100

"यह भी सुव्यवस्थित विधि है कि वे अभ्यर्थी, जिन्होंने चयन प्रक्रिया में उसमें निर्धारित प्रक्रिया को पूर्ण रूप से जानते हुए भाग लिया, उन्हें बाद में उसी पर प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं है (देखें: मुनीन्द्र कुमार बनाम राजीव गोविल तथा रश्मि मिश्रा बनाम मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग)।"

11. उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में, इस प्रकरण में कोई सार नहीं पाई जाती है तथा याचिकाकर्ता को कोई अतिरिक्त अनुतोष प्रदान नहीं की जा सकती। अतः यह याचिका खारिज की जाती है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**